प्ररूप 2 क (नियम 4 देखिए)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

नामनिर्देशन–पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 2 रायगढ़ अजजा संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम विष्णुदेव साय पिता / माता / पति का नाम रामप्रसाद साय उसका डाक पता ग्राम बगीया पो॰ बन्दरचुवा तह॰ कांसाबेल जिला जशपुर

उसका नाम 2 रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं 45 में क्रम सं 258 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम रोशन लाल अग्रवाल है जो 2 रायगढ़ अजजा संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र (में समाविष्ट 16 रायगढ़ विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं 34 चौंतीस में क्रम सं 467 चार सौ सड़सठ पर प्रविष्ट है।

तारीख 01-04-2014

रोशन लाल अग्रवाल
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग–2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए) लागू नहीं

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए _____ संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन करते है।

अभ्यर्थी का नाम _____

पिता / माता / पति का नाम _____

उसका डाक पता _____

उसका नाम _____ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक _____ में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते है कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक है और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते है।

लघु नंही

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्र. सं.	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		उस भाग में क्रम सं.	परा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र/घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक				
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

कृपया ध्यान दें :– प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

[1] अधिसूचना सं. का.आ 558 (अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग– 3

मैं, भाग 1 / भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने पचास 21.02.1964 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे ख (i) या ख (ii), जो लागू न हो उसे काट दें]।

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है,रजिष्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त सजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है, वे अधिमान क्रम में

(i) ..... (ii) लागू नहीं (iii) ..... है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता / माता / पति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य हूँ जो हनीषगढ़ राज्य के उस राज्य में के सीकर जयपुर (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित *** जाति / जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन / उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 01-04-2014

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार, द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :– "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

[1] भाग– 3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को –

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, या

हाँ / नहीं

[1] अधिसूचना सं. का.आ 935 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंत:स्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : नहीं

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्यांक ..... लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (जिले) ..... राज्य .....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था। ..... लागू नहीं

(iv) दोष सिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) ..... लागू नहीं

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था ..... लागू नहीं

(vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की अवधि और / या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करे।

.....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां / नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ : .....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे : .....

..... लागू नहीं

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह / वे लंबित है , ...

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो –

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) .....

स्थान : रायगढ़

तारीख : 01-04-2014

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग– 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम सं. 1

यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय में 1/4/2014 (तारीख) को 11.30 AM (बजे) * अभ्यर्थी / प्रस्थापक द्वारा परिदत किया गया।

तारीख 1/4/2014

रिटर्निंग आफिसर







शपथ पत्र

"प्रारूप 26"

(नियम 4 (क) देखिए)

.....निर्वाचन

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

क्षेत्र से .....(सदन का नाम) के लिए

निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र.

भाग-क

मैं .....** पुत्र / पुत्री / पत्नी .....

आयु ..... वर्ष, जो ..... (अंक तथा पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं / करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं / करती हूं :-

(1) मैं ..... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी ** ~~एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में खड़ा हूं~~.

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ..... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या ..... के क्रम सं. ..... पर प्रविष्ट है.

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ..... है / है और मेरे ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ..... है.

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है.	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं विष्णुदेव साय HUF	AVHPS7690E AAIHV2960E	2013-2014 2013-2014	रु. 2,22,000=00 रु 3,91,000=00
2.	पति या पत्नी कौशल्या देवी साय	COKPS0818C	2013-2014	रु. 472833=00
3.	आश्रित - 1 कु. निलांजली साय	शून्य	लागू नहीं	शून्य
4.	आश्रित-2 कु. रश्मि साय	शून्य	लागू नहीं	शून्य
5.	आश्रित-3 तोषेन्द्र देव साय	शून्य	लागू नहीं	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / ~~किये गये हैं~~.

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(घ) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / ~~किए गए हैं~~.

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे.	लागू नहीं

01 APR 2014

(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है.	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख.	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं.	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख.	लागू नहीं
(ख)	उक्त मामलों के ब्यौरे, जिनमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है.	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे.	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ~~ठहराया गया~~ है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश ~~दिया गया~~ है / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है.	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है. यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति.	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों - (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पण 2 - जमा / विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं.

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए.

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (क) के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है.

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं.

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	रु. पचास हजार	रु. पन्द्रह हजार	रु. पांच हजार	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसायटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	SBI, Kharagpur 30905177990 16757 2=00 SBI, Kharagpur 31715493 03 Savings A/c 10115343461 रु 21301=00 SBI Kharagpur A/c 33752424171 रु 980/-	SBI Kharagpur A/c 31187972 रु 22722=00	Kotak Mahindra Bank, Kharagpur A/c 1324 रु 2=00	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य बंधपत्रों, डिबेंचरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और जहां बीमा कंपनी में किया वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम.	LIC Policy 381954337 Premium 560/- पति के नाम से	LIC Policy 382224744 Premium 5241/- पत्नी के नाम से	शून्य	शून्य	LIC No 385136604 Premium 3421/- पुत्र के नाम से
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible]	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

01 APR 2014

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य.					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए.

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(ए)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि का बाध्यम के भूमि पर कोई विनिधान					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(बी)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					

01 APR 2014

	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	[illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	जयपुर में चार अपार्टमेन्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	4.5 डी०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	दो डीलीमिट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	वर्षीया से दस डी०पी०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वर्ष 2010	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	[illegible] रु० आठलाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रु० चौदह लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) ★	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	वर्षीया जयपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2200 वर्ग फुट 2450 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2240 वर्ग फुट 2450 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	वर्षीया 2018 जयपुर 2010	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	[illegible] रु० लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य जयपुर	[illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

01 APR 2014

(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) में (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	रु. अनाकी लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति SBI काशीपुर लोन 2348976=00 SBI चकरपुर 15248100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	रु. 18,19,686=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय - कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

01 APR 2014

	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कोई शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... कृषी, किराया, लोक सभा सदस्य की प्राप्तीया .....

(ख) पति या पत्नी ..... H.H.F. छात्री, टेचरी छात्री उत्थाद .....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- (2) 11 वीं उत्तीर्ण

(1) लोयोला सायर सेकन्डरी स्कूल कुचकुरी सिपा जयपुर .....

(प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्राप्त्य का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

नोटरी नरेश मिश्रा पंजीयन क्रमांक 01/2011 छत्तीसगढ़ शासन

भाग - ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु. विष्णुदेव साय
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम बगीया पो. बन्दरचुवा तहसील कांसाबेल जिला जशपुर
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	2 रायगढ़ (अजजा) छ. ग.
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अथवा "स्वतंत्र लिखें")	भारतीय जनता पार्टी
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं.	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऐसे ऊपर मद (i) उल्लेखित मामलों से भिन्न]	शून्य
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य

01 APR 2014

7.		... का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी HUF	AVHPS 7690E AAIHN 2960E	2013-2014 2013-2014	20,22,680=00 3,90,200=00 4,22,833=00
	(ख) पति या पत्नी	COKPS 0818C	2013-2014	4,72,833=00
	(ग) आश्रित	निरंक	निरंक	निरंक

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)

	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	35,59,423=00	17,87,272=00	1,32,425=00	शून्य	शून्य
(ख)	स्थावर आस्तियां	-				
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	Rs 53,80,000=00 Rs 1,48,91,52,332=00 Rs 1,62,41,523=00	Rs 28,52,272=00	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निम्नलिखित की	रु 1,62,41,523=00	Rs 28,52,272=00 शून्य		शून्य	शून्य
III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	रु. 2,07,82,246=00	रु. 30,79,544=00 शून्य		शून्य	शून्य
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	2,07,82,246=00	3,77,544=00	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	रु 18,19,686=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

01 APR 2014

10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	10,17,685=00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारुप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें.)	लोयोला हाय स्कूल				11वी तक

नोटरी
सेक्यीपन
पंजीयन क्रमांक
R.J.14-21
01/2014
सगढ़ शा

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है, मैं यह और घोषणा करता हूं कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.)

आज तारीख 01.04.2014 को सत्यापित किया गया. को मेरे सामने शपथ ग्रहण की
01 APR 2014
मैं स्वयम् इन्हें जानता हूँ अथवा श्री
के द्वारा पहचाना गया हूँ जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए.
टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए.
टिप्पण : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए जानकारी नहीं है, तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित होना चाहिए।
टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या मुद्रित रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए.
टिप्पण : 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिटपेटिशन क्रमांक 121 रिर्सेन्स इंडिया विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 13/09/2013 के पारित आदेश के परिपालन में चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ –पत्र (Affidavit) में प्रत्येक बिन्दु की जानकारी को भरा जाना आवश्यक किया गया है । शपथ पत्र के प्रत्येक बिन्दु के समक्ष अपेक्षित जानकारी भरी जावे। रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन के समय उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले शपथ–पत्र की जांच कर सुनिश्चित करेंगे की शपथ–पत्र के प्रत्येक कॉलम के विरुद्ध प्रविष्टि की गई है। कोई कॉलम नहीं भरा गया हो तो रिटर्निंग ऑफिसर ऐसी उम्मीदवारों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लिखित रूप से सूचना देकर निर्धारित कॉलम की जानकारी भरने बाबत् निर्देश देगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी कॉलम विशेष के विरुद्ध प्रविष्टि करने हेतु उम्मीदवार से संबंधित नहीं है तो वैसी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा कॉलम के समक्ष–"शिरंक" "लागू नहीं" या "उपलब्ध नहीं" लिखा जावेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई कॉलम खाली नहीं रहेगा। स्वरुप–पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात् भी उम्मीदवार रिक्त कॉलम में उपरोक्तानुसार जानकारी नहीं भरता तो ऐसी परिस्थितियों में उस प्रकार के नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त करने योग्य होगा।
टिप्पण : 6 पैरा 3 में शपथ–पत्र (Affidavit) के साथ निम्नलिखित जानकारी भी भरें ।
"मेरा टेलीफोन नंबर (S) is/are.....
"मेरा ईमेल आईडी (if any) is.....
और मेरा सोशल मिडिया एकाउन्ट (if any) are.....

शपथ अथवा प्रतिज्ञापन का फार्म

[भारत के संविधान का अनुच्छेद 84(क)]

(संसद हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला)

मैं विष्णुदेव साय जो ~~राज्य सभा~~ अथवा (लोकसभा) में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा.

विष्णुदेव साय

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/श्रीमती विष्णु देव साय ने आज दिनांक 1/4/2019 माह .....200 को कलेक्ट्रेट (स्थान) पर 11.30 AM. बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया.

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और
नाम, पदनाम और मुहर.)

(अध्याय 6 –13.1)

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर

2 रायगढ़ (अ.ज.जा.) छ.ग. लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

महोदय,

मेरे द्वारा 2 रायगढ़ (अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। मेरा सही नाम नीचे लिखे अनुसार है :–

विष्णु देव साय

2 – मैं क्षेत्र में निम्न नाम से जाना जाता हूँ अतः मतपत्र में मेरा नाम तदानुसार लिखा जावे

विष्णु देव साय

स्थान :– रायगढ़

दिनांक:– 01-04-2014

भवदीय

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी से सम्बंधित अन्य जानकारी

1– अभ्यर्थी का नाम :– विष्णु देव साय

2– लोकसभा क्षेत्र जहाँ से नाम– निर्देशन प्रस्तुत किया गया है :– 02 रायगढ़(अनुजा)

3– आजिविका :– कृषी, किसान, लोक सभा की प्रत्याशी

4– शैक्षणिक योग्यता :– डायर सेकरी

5– विवाहित अथवा अविवाहित :– विवाहित

6– डाक का पूर्ण पता :– ग्राम बगीया पो० बन्दरचुवां तहसील कांसाबेल जिला जशपुर(छ.ग.)

7– क्या आप वर्तमान में विधायक/सांसद हैं :– हां सांसद

8– क्या आप वर्तमान में मंत्रीमण्डल के सदस्य है यदि हां तो प्रभार का विवरण दें :– नहीं

9– क्या आप भूतपूर्व विधायक/सांसद/मंत्री है यदि हां तो कब से कब तक :– तीन बार सांसद 1999, 2004, 2009
दो बार विधायक 1998–1999
1993 से 1998

10– क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं :– नहीं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर